न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 18/2021

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
1. नारायणसिंह पुत्र मालसिंह 2. प्रभूसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूरोहित, निवासी लाखोणियों की ढाणी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत बालेरा जरिये सरपंच 2. समधा देवी पत्नी उत्तमसिंह जाति राजपूरोहित, निवासी उत्तमसिंह की ढाणी, बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 71 दिनांक 19.09.2019 जो ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 19/2021

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
1. नारायणसिंह पुत्र मालसिंह 2. प्रभूसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूरोहित, निवासी लाखोणियों की ढाणी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत बालेरा जरिये सरपंच 2. नेनूसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति राजपूरोहित, निवासी उत्तमसिंह की ढाणी, बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 70 दिनांक 19.09.2019 जो ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:20:07 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 20/2021

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
1. नारायणसिंह पुत्र मालसिंह 2. प्रभूसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूरोहित, निवासी लाखोणियों की ढाणी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत बालेरा जरिये सरपंच 2. भाखरसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति राजपूरोहित, निवासी उत्तमसिंह की ढाणी, बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 69 दिनांक 19.09.2019 जो ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 21/2021

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
1. नारायणसिंह पुत्र मालसिंह 2. प्रभूसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूरोहित, निवासी लाखोणियों की ढाणी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत बालेरा जरिये सरपंच 2. गेमरसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति राजपूरोहित, निवासी उत्तमसिंह की ढाणी, बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 68 दिनांक 19.09.2019 जो ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:20:07 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 31.07.2024

1. प्रार्थीगण की ओर से यह चारो निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बालेरा की ओर से अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 68, 69, 70, 71 दिनांक 19.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत किये जाने पर समान पक्षकार एवं एक ही विषयवस्तु होने से उक्त चारो निगरानी प्रार्थना पत्रों को एक संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णीत किया जा रहा हैं तथा निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है/पंचायत आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायती राज विभाग 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले पचास वर्षो के दौरान संनिर्मित किया गया है, का आवासीय भूमि का पट्टा सं. 68, 69, 70, 71 दिनांक 19.09.2019 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा उक्त पट्टे जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थीगण ने उक्त पट्टो की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त चार निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थ[illegible] अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्र[illegible] किया गया।

3. अप्रार्थीगण को ज[illegible]या गया एवं ग्राम पंचायत बालेरा का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:20:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4 प्रार्थीगण की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पैतृक कब्जे का रहवासीय परिसर प्लाट गांव की मुख्य आबादी में आया हुआ है, जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 सहित संयुक्त परिवार की शामलाती भूमि है। इस भूमि का विधिवत रूप से तीन भाईयों मालसिंह, माधोंसिह व उत्तमसिंह के मध्य बंटवाडा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण के चाचा उत्तमसिंह के परिवार जनों अप्रार्थीगण संख्या 02 भाखरसिंह, गेमरसिंह, नैनुसिंह व समधा देवी ने अधिक भूमि हड़प करने के आशय से छिपे तौर पर पुराने गृहो के नियमितीकरण के तहत पट्टे प्राप्त किये है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जारी पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना नहीं कि जाने एवं नियमों की अनदेखी किये जाने के आधार पर आलौच्य पट्टे निरस्त योग्य हैं।

5 प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 गांव में प्रभावशाली होने के कारण अपने प्रभाव का गलत प्रयोग करके ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलीभगत कर आलोच्य पट्टे जारी करवाये है। जिसके लिए भूमि पर पुराना कब्जा होने के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और न ही मौके पर मकान बने होने के तथ्य पेश किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बालेरा के समक्ष पट्टे प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्रों के पद संख्या 4 में स्वयं का कब्जा 10 वर्ष पुराना होना बताया है, एवं परिसर का कोई नाप एवं पडौस अंकित नहीं किया है। ऐसे में आवेदन पर 50 वर्ष से पुराना कब्जा मानकर जो पट्टे पुराने गृहो के विनियमीतिकरण के तहत जारी किये गये है व पूर्णतया नियम विरूद्व है। आलौच्य पट्टे जारी करने से पूर्व को[illegible] प्रक्रिया की पालना नहीं की है बल्कि एक छपी[illegible] कोई अंकन एवं मौका कमेटी नियुक्त किये मात्र अप्रार्थीग[illegible] संख्या 2 के नाम व तारीखों का अंकन कर सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण की है, जो न्याय उचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:20:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थीगण का विवादित भूखण्डो का पुराना 50 वर्षो का कब्जा होने के तथ्य की किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा ताईद नहीं की गई है। आलौच्य पट्टे अप्रार्थीगण संख्या 2 एक ही परिवार के चार सदस्यों के नाम अलग–अलग जारी किये गये है, जिससे न्याय का नजरिया कमजोर हो जाता है एवं उक्त कार्यवाही नियम विरूद्व होने से आलौच्य पट्टे खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत चारो निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा जारी आलौच्य पट्टा संख्या 68, 69, 70, 71 दिनांक 19.09.2019 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

6. अप्रार्थीगण संख्या 02 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम बालेरा की आबादी भूमि में अप्रार्थीगण के चारो आवासीय भूखण्ड आये हुए है जो उनके पूर्वजों के विगत 50 वर्षो से कब्जा हैं। ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा प्रार्थीगण के नाम से चार अलग–अलग पट्टा सं. 68, 69, 70, 71 दिनांक 19.09.2019 को जारी किये गये हैं। प्रार्थीगण के परिवार की यदि कोई पुराना कब्जा की भूमि है तो वह नियमानुसार ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन कर पट्टा प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टे जारी किये गये हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रक्रियात्मक एवं नियमों की अवहेलना नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। जिस पर मौका कमेटी द्वारा निरीक्षण कर निरीक्षण पत्र प्रस्तुत किया गया है, पुराने [illegible] शुदा शपथ–पत्र एवं पहचान–पत्र प्रस्तुत किये [illegible] कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव लेकर आलौच्य [illegible] सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत चारो [illegible] निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:20:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाई जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थीगण सं. 2 की ओर से ग्राम पंचायत बालेरा के समक्ष एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत बालेरा की आबादी भूमि में स्थित भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों पर कार्यवाही कर आलौच्य पट्टा विलेख सं. 68, 69, 70 व 71 दिनांक 19.09.2019 को जारी कर दिये गये। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन हैं कि विवादित भूखण्ड प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त पैतृक सम्पति के हैं, जिसमें प्रार्थीगण का भी हक–अधिकार हैं किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा अपने एक ही परिवार के चार सदस्यों के नाम से आलौच्य पट्टे जारी कर दिये गये है, जो विधि विरूद्ध एवं अनियमित होने से अपास्त योग्य हैं। इसके जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 2 का कथन हैं कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में उनके पुराने कब्जे के भूखण्डों के पट्टे हेतु आवेदन–पत्र निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किये गये, जिन पर ग्राम पंचायत द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार पट्टे जारी किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या नियमितीकरण की त्रुटि नहीं की गई हैं। प्रार्थीगण भी अपने भूखण्ड के पट्टे प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हे भी नियमानुसार ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए। जहां तक अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन हैं कि विवादित भूखण्ड संयुक्त पैतृक सम्पति हैं तथा उनका भी इसमें हक अधिकार हैं तो इस बाबत [illegible] करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं तथा इसके लिए [illegible] न्यायालय में चाराजोही कर अपना हक–अधिकार प्राप्त करें। इस पंचायत निगरानी प्रकरण में केवल ग्राम पंचायत के द्वारा संपादित कार्यवाही एवं दस्तावेजों का परीक्षण एवं परीशीलन

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:20:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

कर उसकी वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की कसौटी पर विनिश्चय कर निष्कर्ष दिया जाना हैं। अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विलेखों से सम्बन्धित पत्रावलियों का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत बालेरा के समक्ष अप्रार्थीगण सं. 2 की ओर से आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट ली गई किन्तु आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर आवेदन शुल्क एवं मौका कमेटी की शुल्क लिया जाना अभिलेख पर अंकित नहीं हैं। इसके अलावा आदेशिका में जिन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन किया गया है, उनके नाम भी अंकित नहीं हैं ऐसे में जो मौका कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होकर पत्रावली में सम्मिलित की गई है व अप्राधिकृत रूप से तैयार मौका रिपोर्ट हैं, जिस पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। अप्रार्थीगण द्वारा आलौच्य पट्टे अपने पुराने कब्जे के आधार पर प्राप्त किये हैं जबकि पत्रावली में पुराने कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत अथवा पडौसियान के बयान / शपथ–पत्र नहीं लिये गये हैं, ऐसे में मात्र अप्रार्थीगण के ही कथन के आधार पर पुराना कब्जा मानकर आलौच्य पट्टे जारी किये गये हैं। आलौच्य पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने जो सूचना जारी की गई हैं, उस पर सरपंच के हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित नहीं है तथा न ही उस पर जारी करने की दिनांक अंकित हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टे जारी करने सम्बन्धी पत्रावलियों के अवलोकन से ग्राम पंचायत की ओर से की गई कार्यवाही नियमों के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही हैं, जिसके आधार पर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत नियमितता एवं पूर्णता के पहलु पर [illegible] योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:20:07 IST
Reason: SelfAttested

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों [illegible] एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत चारों ही निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम पंचायत बालेरा के द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

पंचायत निगरानी/18/2021/नारायणसिंह बनाम ग्रा.पं. बालेरा व अन्य
पंचायत निगरानी/19/2021/नारायणसिंह बनाम ग्रा.पं. बालेरा व अन्य
पंचायत निगरानी/20/2021/नारायणसिंह बनाम ग्रा.पं. बालेरा व अन्य
पंचायत निगरानी/21/2021/नारायणसिंह बनाम ग्रा.पं. बालेरा व अन्य

में जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 68, 69, 70 एवं 71 दिनांक 19.09.2019 को अपास्त किया जाता है तथा चारों ही प्रकरण ग्राम पंचायत बालेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अप्रार्थीगण सं. 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्रों पर पुनः नये सिरे से जांच एवं कार्यवाही कर प्रकरणों का निस्तारण करें।

9. निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:20:07 IST
Reason: SelfAttested